राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाषः 0141–2709846, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com

क्रमांकः–रामाशिप/जय/यू–डाईस–2014–15/ 8868 दिनांक 28/10/2014

जिला परियोजना समन्वयक/
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक,
केन्द्रीय प्रवर्तित माध्यमिक योजनाएं,
समस्त जिले।

विषयः यू–डाइस 2014–15 के वितरण, प्रशिक्षण, संकलन एवं डाटा फीडिंग के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रत्येक वर्ष के अनुसार यू–डाइस 2014–15 का कार्यक्रम प्रगति पर है। प्रत्येक जिले में ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक विद्यालय को यू–डाईस 2013–14 के आधार पर प्रिंट यू–डाईस प्रपत्र वितरण व प्रशिक्षण का कार्य राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान के सहयोग से सर्व शिक्षा अभियान जिला कार्यालय द्वारा किया जाना है। यू–डाइस 2014–15 को निम्न निर्देशों के अनुसार भरवाना सुनिश्चित करावेः–

1. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2014 को 17,129 विद्यालय को समन्वित कर 13,536 आदर्श विद्यालय बनाये गये थे। इन विद्यालयों में से दिनांक 15.10.2014 को कुछ विद्यालयों को पृथक किया जा चुका है। उक्त पृथक विद्यालयों के यू–डाईस डीसीएफ प्रपत्र पृथक से भरा जावें।
2. राज्य सरकार द्वारा 21 अक्टूबर 2014 को सैकण्डरी से सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में क्रमोन्नत किये गये है। उक्त सैकेण्डरी विद्यालयों की सूचना यू–डाइस डीसीएफ प्रपत्र में क्रमोन्नयन के अनुसार भरवावें।
3. यू–डाईस 2014–15 के ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन, व्यय आदि की व्यवस्था राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् जयपुर के पत्र क्रमांक 11176 दिनांक 27–10–2014 के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
4. आदर्श विद्यालय में समन्वित विद्यालयों का पृथक से डीसीएफ प्रपत्र नही भरा जावें। **(उदाहरणः– यदि किसी एक आदर्श विद्यालय में एक या एक से अधिक विद्यालयों को समन्वित किया गया है तो समन्वित विद्यालयों की सूचना आदर्श विद्यालय के डीसीएफ प्रपत्र में भरी जावेगी। समन्वित विद्यालय की पृथक से कोई डीसीएफ नही भरा जावेगा। ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण में आदर्श विद्यालयों के संस्था प्रधानो द्वारा ही भाग लिया जावेगा।)**
5. सभी जिला परियोजना समन्वयक ब्लॉक स्तर के विद्यालय के संस्था प्रधान को निर्देशित करें कि वे दिन प्रतिदिन यू–डाईस प्रपत्र वितरण, प्रशिक्षण तथा संकलन का मॉनिटरिंग करें जिससे किसी राजकीय/गैर राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए यू–डाईस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
6. यू–डाईस प्रपत्र विद्यालयों से भरकर प्राप्त होने के पश्चात् डाटा फीडिंग का कार्य एसएसए एमआईएस प्रभारी द्वारा किया जाना है। राज्य स्तर पर लिये गये निर्णय के अनुसार डाटा फीडिंग का कार्य गत वर्ष 2013–14 के अनुसार आईसीटी लेब वाले विद्यालय में किया जाना है। सभी जिला कार्यालय (रमसा), एसएसए जिला कार्यालय से सम्पर्क कर पिछले वर्ष में जिस विद्यालय में यू–डाईस डाटा फीडिंग की गई थी उस विद्यालय का निरीक्षण कर आईसीटी लेब की व्यवस्था पूर्ण से सही होना निश्चित करें और विद्यालय की लेब सही होने की सूचना राज्य कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

7. गत वर्ष के विद्यालय में फीडिंग का कार्य किया जाना संभव नहीं है तो किसी अन्य विद्यालय में स्थित आई.सी.टी लेब का परीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि यू–डाइस डाटा फीडिंग का कार्य समयानुसार सम्पन्न किया जा सकता है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

(अनूप खींची)
राज्य परियोजना निदेशक
रामाशिप जयपुर

प्रतिलिपिः – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. आयुक्त सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को देकर लेख है कि यू–डाईस 2014–15 के कार्य को समयानुसार सम्पन्न कराने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिलों को पाबंद करने का श्रम करावें।
3. उपायुक्त डाईस, राप्राशिप जयपुर।
4. नियंत्रक वित्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. सलाहकार (डाईस) राप्राशिप को देकर लेख है कि सभी जिला कार्यालय एसएसए को सूचित करें।
6. रक्षित पत्रावली।

राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

ब्लॉक–5, द्वितीय एंव तृतीय तल
डा. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोनः– 2705483 फैक्सः– 2701822

क्रमांकः– एफ–14 ( )/डाइस/राप्राशिप/जय/2013–14/ 11176 दिनांकः– 27/10/14

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक,
सर्व शिक्षा अभियान,
जिला– भरतपुर।

विषयः– यू–डाइस 2014–15 के ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण करवाने के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांकः– जिपस/भरत/यू–डाइस/2014–15/6667 दिनांक 22.10.2014

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि दिनांक 11.09.2014 को आयुक्त सर्व शिक्षा अभियान व निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण हेतु निम्न निर्देश प्रदान किये गये थेः–

1. एसएसए व आर.एम.एस.ए के ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण गत वर्ष की भांति संयुक्त रूप से किये जावेगें। ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षणो का व्यय सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से वहन किया जावेगा। जिसका समायोजन परिषद् स्तर पर किया जावेगा। उक्त ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षणों में एडीपीसी आर.एम.एस.ए द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान किया जावेगा।
2. ब्लॉक स्तर पर आयोजित प्रशिक्षणों में संभागियों के लिए किये जाने हेतु व्यय का प्रावधान परिषद् द्वारा पूर्व में दिये गये आदेश क्रमांकः– एफ14 ()/डाइस/राप्राशिप/जय/2013–14/9145–46 दिनांकः– 09.09.2014 के द्वारा 100 रूपये प्रति व्यक्ति की दर से व्यय करने हेतु निर्देशित किया गया लेकिन संभागियों द्वारा स्वंय के कार्यालय द्वारा नियमानुसार दैनिक एवं यात्रा भत्ता लेने के निर्देशों के कारण उक्त संभागियों पर 100 रूपये के स्थान पर 50 रूपये प्रति संभागी की दर से चाय, नाश्ता एवं वर्किंग लंच हेतु व्यय किया जाना है तथा प्रशिक्षण के दौरान संभागियों को किसी भी प्रकार का नकद भुगतान देय नही होगा।

27/10/2014

अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, आर.एम.एस.ए, जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
4. उपनिदेशक (डाइस), आर.एम.एस.ए, जयपुर।
5. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, समस्त जिले को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षणों में किये जाने वाले व्यय उक्त निर्देशों के अनुसार करवाने हेतु सुनिश्चित करें।
6. रक्षित पत्रावली।

27/10/2014

अतिरिक्त आयुक्त

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

ब्लॉक–5, द्वितीय एंव तृतीय तल

डा. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोनः— 2705483 फैक्सः— 2701822

क्रमांकः—एफ–14 ( )/डाइस/राप्राशिप/जय/2013–14/ 11177 दिनांकः— 27/10/14

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक,

सर्व शिक्षा अभियान,

समस्त जिले।

विषयः— यू–डाइस 2014–15 भरने के परिप्रेक्ष्य में।

उपर्युक्त बिषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14.08.2014 को राज्य में 17,129 को समन्वित कर 13,536 आदर्श विद्यालय बनाये गये थे। उक्त 17,129 समन्वित विद्यालयों में से दिनांक 15.10.2014 को कुछ विद्यालयों को पृथक किया जा चुका है। उक्त पृथक किये गये विद्यालयों का डीसीएफ प्रपत्र पृथक से भरवाने हेतु निर्देशित करावें।

राज्य सरकार दिनांक 21.10.2014 को सैकेण्डरी विद्यालयों को सीनियर सैकेण्डरी विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों की अपडेट सूचना डीसीएफ प्रपत्र में भरवाने हेतु बीईईओ व नोडल संस्था प्रधान के माध्यम से विद्यालयों के संस्था प्रधान को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करावें।

27/X

अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
8. उपनिदेशक (डाइस), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

27/X

अतिरिक्त आयुक्त